



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-19022021-225272
CG-DL-E-19022021-225272

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 81]
No. 81]

नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 19, 2021/ माघ 30, 1942
NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 19, 2021/MAGHA 30, 1942

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

(पीएचआरडी प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 फरवरी, 2021

सा.का.नि.121(अ).— केंद्र सरकार, एतद्वारा महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 3 की उप-धारा (6) के साथ पठित उप-धारा (1) के खंड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा भारत सरकार, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना जी.एस.आर. 320(ई) दिनांक 5 मई, 2020 के अधिक्रमण में श्री विक्रम सिंह, संयुक्त सचिव, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय को श्री सुनील पालीवाल, सीएमडी, कामराजार पोर्ट लिमिटेड के स्थान पर दिनांक 31.03.2022 तक की अवधि के लिए चेन्ई पत्तन न्यास के न्यासी मंडल में न्यासी के रूप में नियुक्त करती है।

2. उक्त नियुक्ति तत्काल प्रभाव से लागू होगी।

[फा.सं.एलबी-11013/1/2018-एल]

विक्रम सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF PORTS, SHIPPING AND WATERWAYS**(PHRD Division)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 18th February, 2021

G.S.R. 121 (E).—In exercise of the powers conferred by clause (c) of sub-section (1) read with sub-section (6) of Section 3 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), and in supersession of the Notification G.S.R.320(E) dated the 5th May, 2020 of the Government of India, Ministry of Ports, Shipping and Waterways, the Central Government hereby appoints Shri Vikram Singh, Joint Secretary, Ministry of Ports, Shipping and Waterways to be trustees on the Board of Trustees of the Chennai Port Trust for the period up to 31.03.2022 in place of Shri Sunil Paliwal, CMD, Kamarajar Port Limited.

2. The said appointment shall come into force with immediate effect.

[F.No.LB-11013/1/2018-L]

VIKRAM SINGH, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 फरवरी, 2021

सा.का.नि. 122 (अ).—केंद्र सरकार, एतद्वारा महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 3 की उप-धारा (6) के साथ पठित उप-धारा (1) के खंड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा भारत सरकार, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना जी.एस.आर. 320(ई) दिनांक 5 मई, 2020 के अधिक्रमण में श्री सुनील पालीवाल, सीएमडी, कामराजार पोर्ट लिमिटेड को महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 3(1)(सी)(i)(7) के अंतर्गत दिनांक 31.03.2022 तक की अवधि के लिए चेन्नई पत्तन न्यास के न्यासी मंडल में न्यासी के रूप में नियुक्त करती है।

2. उक्त नियुक्ति तत्काल प्रभाव से लागू होगी।

[फा.सं.एलबी-11013/1/2018-एल]

विक्रम सिंह, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th February, 2021

G.S.R. 122 (E).—In exercise of the powers conferred by clause (c) of sub-section (1) read with sub-section (6) of Section 3 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), and in supersession of the Notification G.S.R.320(E) dated the 5th May, 2020 of the Government of India, Ministry of Ports, Shipping and Waterways, the Central Government hereby appoints Shri Sunil Paliwal, CMD, Kamarajar Port Limited to be trustees on the Board of Trustees of the Chennai Port Trust for the period up to 31.03.2022 under Section 3(1)(c)(i)(7) of Major Port Trust Act, 1963.

2. The said appointment shall come into force with immediate effect.

[F.No.LB-11013/1/2018-L]

VIKRAM SINGH, Jt. Secy.